संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/29/02/2021
Ref No.: IRDAI/HLT/REG/CIR/29/02/2021 दिनांक/Date: 08.02.2021

परिपत्र
Circular

प्रति/To,
सभी साधारण और स्टैण्डएलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी(यों)
CEOs of all General and Standalone Health Insurance Companies

विषय: स्वास्थ्य बीमा व्यापार में उत्पाद फाइलिंग के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश
Sub: Modified guidelines on product filing in health insurance business

स्वास्थ्य बीमा व्यापार में उत्पाद फाइलिंग के संबंध में समेकित दिशा-निर्देशों के अध्याय ।।। के प्रावधानों संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईर/194/07/2020 दिनांकित 22 जुलाई, 2020 (दिशा-निर्देश) की ओर संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें स्वास्थ्य बीमा व्यापार व्यक्तिगत उत्पादों या एड ऑनों या राइडरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में फाइल और उपयोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इन दिशा-निर्देशों के आंशिक संशोधन में निम्नलिखित मानदण्ड निर्दिष्ट किये गये हैं।
Reference is invited to the provisions of Chapter III of Consolidated Guidelines on Product filing in Health Insurance Business Ref No: IRDAI/HLT/REG/CIR/194/07/2020 dated 22nd July, 2020 (the guidelines) specifying the File and Use Procedure in respect of various categories of individual Products or Add-ons or Riders of Health Insurance Business. In partial modification of these guidelines the following norms are specified.

1. स्वास्थ्य बीमा व्यापार की कुछ श्रेणियों के लिए उपयोग एवं फाइल प्रक्रिया:
Use and File procedure for certain categories of health insurance business:

साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों (इसके बाद बीमाकर्ताओं के रूप में उल्लिखित) द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य बीमा व्यापार के व्यक्तिगत उत्पादों या एड-ऑनों या राइडरों की निम्नलिखित श्रेणियों को इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंडों का विधिवत अनुपालन करते हुए उपयोग और फाइल प्रक्रिया के माध्यम से लाँच करने की अनुमति दी जाती है।
The following categories of the individual products or add-ons or riders of health insurance business offered by General and Health Insurance Companies (hereafter referred as insurers) are permitted to be launched through Use and File Procedure by duly complying with the norms specified in these guidelines.

- क. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद।
- a. Personal Accident insurance products.
- ख. विदेश यात्रा बीमा उत्पाद।
- b. Overseas Travel insurance products.
- ग. घरेलू यात्रा बीमा उत्पाद।
- c. Domestic Travel insurance products.
- घ. लाभ आधारित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद।
- d. Benefit Based health insurance products.

<u>नोट:</u> इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य से, लाभ आधारित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को ऐसे उत्पादों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके अंतर्गत, पॉलिसीधारक द्वारा चयनित विशिष्ट लाभ का भुगतान, कवर की गयी आकस्मिकता के होने पर निश्चित लाभ के रूप में किया जाता है।

Note: For the purpose of these guidelines, benefit based health insurance products are defined as the products under which a specified benefit, as chosen by the policyholder, is paid as a fixed benefit, on happening of the contingency covered.

i. व्यक्तिगत उत्पादों की उपरोक्त श्रेणियों को, उपयोग एवं फाइल के अंतर्गत, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, लाँच करने की अनुमति दी जाती है:
The above referred categories of individual products are allowed to be launched under use and file subject to the following conditions:

i.1 व्यक्तिगत दुर्घटना के संबंध में, घरेलू और विदेश यात्रा उत्पाद ``उपयोग एवं फाइल'' की अनुमति है, तभी जब प्रस्तावित कवर, आधार कवर और एड-ऑन कवर या राइडर दोनों के अंतर्गत, प्रासंगिक रूप से संबद्ध किसी दुर्घटना और/या यात्रा पर अवलंबित है ।
i.1 In respect of the personal accident, domestic and overseas travel products "use and file" is allowed only if the coverage offered both under base covers and add-on covers or riders is contingent upon an accident and/or travel as relevant.

i.2 जहाँ, स्वास्थ्य बीमा व्यापार के भिन्न क्षेत्रों से, उपरोक्त से अलग उत्पादों के साथ कवरों का समुच्चय प्रस्तावित किया जाता है या उपरोक्त उत्पादों के समुच्चय के साथ, लेकिन उपरोक्त (i.1) के अनुसार नहीं है, बीमाकर्ताओं को दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट ``फाइल एवं उपयोग'' प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे उत्पादों को फाइल करते रहना चाहिये।
i.2 Where combination of covers from different lines of health insurance business, is proposed with products other than those mentioned above or with combination of products mentioned above but not in accordance with (i.1) above, insurers should continue to file such products under "file and use" procedure, as specified in the guidelines

i.3 "उपयोग एवं फाइल" के अंतर्गत फाइल किये गये उपरोक्त उत्पादों का कोई संशोधन, दिशा-निर्देशों में यथा निर्दिष्ट ``फाइल एवं उपयोग'' प्रक्रिया के अंतर्गत जारी रहेगा।
i.3 Any modification of the above referred products filed under "use and file" continue to be under "file and use" procedure as specified in the guidelines.

ii. बीमाकर्ताओं को, उपयोग एवं फाइल प्रक्रिया के अंतर्गत भी, दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट प्रपत्र-आईआरडीएआई-एफएनयू-एचआईपी (अनुलग्न-1) का प्रयोग करते हुए उपरोक्त खंड (1) में उल्लिखित उत्पादों की फाइलिंग जारी रखनी चाहिए। उत्पाद लागू करने से पूर्व यूआईएन प्राप्त कर लेना चाहिए।
Insurers should continue filing the products referred at Clause (1) above, using the Form –IRDAI – FNU-HIP (Annexure -1) specified in the guidelines under Use and File Procedure as well. UIN should be obtained before launching the product.

iii. जहाँ किसी बीमाकर्ता को, उपयोग एवं फाइल प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पाद लाँच करते समय, यहाँ निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का अननुपालक पाया जाता है, प्राधिकरण, बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के बावजूद, निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्रवाई कर सकता है।
Where any Insurer is found to be non-compliant with the guidelines specified herein while launching the products under use and file procedure, the Authority notwithstanding the action that may be taken under the provisions of Insurance Act 1938, may take one or more of the following actions.

क. बीमाकर्ता को उत्पाद वापस लेने का निर्देश दे।
a. Direct the insurer to withdraw the product.

ख. ऐसे बीमाकर्ता के लिए, जैसा भी निर्धारित किया जाता है, उस अवधि के लिए, उपयोग एवं फाइल सुविधा वापस ले।

b. Withdraw the Use and File facility for such insurer for a period as may be determined.

iv. ये मानदण्ड 1 अप्रैल, 2021 के बाद से फाइल किये गये उत्पादों के संबंध में लागू हैं।

These norms are applicable in respect of products filed from 1st April, 2021 onwards.

हस्ताक्षरित / Sd/-
(डीवीएस रमेश / D V S Ramesh)
(महाप्रबंधक / General Manager)